न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगौन/स्टांप अधि./2017/4051 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2017 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टांप, जिला खरगौन प्रकरण क्रमांक 00313204201710109.

दिलीप पिता मांगीलाल पाठक
निवासी-कुम्हार मोहल्ला, बड़वाह, खरगौन
जिला खरगौन .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
कलेक्टर ऑफ स्टांप, जिला खरगौन .....अनावेदक

श्री गोपाल सोलंकी, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टांप, जिला खरगौन द्वारा पारित दिनांक 30.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ई-स्टाम्प कोड क्रमांक 01012207122016003464 की राशि रूपये 1,76,663/- रिफण्ड रिक्वेस्ट क्रमांक आर.आर. 012203201701053 से रिफण्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला खरगौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा प्रकरण क्रमांक 124/सी-132/49-54/16-17

दर्ज कर दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक द्वारा श्रीमती पूर्णिमा जोशी से सम्पत्ति क्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया, किन्तु विक्रेता द्वारा पंजीयन से इंकार करने पर आवेदक द्वारा पंजीयन की राशि वापस किये जाने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टांप के समक्ष 4 माह 3 दिन पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे समय बाह्य मानकर कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा निरस्त किया गया है।

(2) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदन का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 49(घ)(5) की कल्पना करते हुए इस अधिनियम की धारा 50(1) के प्रोविजन अनुसार आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है, जबकि इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 49(घ)(5) एवं 50(1) लागू नहीं होती है। अधिनियम की धारा 49(घ)(5) तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति द्वारा लिखत की शर्तों को मानने से इंकार किया जावे, जबकि विक्रय पत्र अनुसार लिखत में वर्णित किसी भी शर्त को अमान्य नहीं किया गया है, बल्कि लिखत की समस्त शर्तें स्वीकारोक्ति उपरांत ही गवाहों के समक्ष लिखत पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(3) पंजीय विधान की धारा 17 के अधीन विक्रय पत्र का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है और विक्रय लेख तब ही प्रभावशील होता है, जब पंजीयन विधान के तहत पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण हो गई हो तथा जहां रू. 100/- से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति है, वहां ऐसी संपत्ति का विक्रय द्वारा अंतरण, अंतरक द्वारा निष्पादित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही प्रभावी हो सकता है। अंतरिती को स्थावर संपत्ति में स्वत्व अंतरित करने के लिए अंतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अंतरण की लिखत रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती। इस तर्क के समर्थन में ए.आय.आर.-1968 (गुजरात 272) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(4) विक्रेता द्वारा पंजीयन करने से इंकार करने के कारण लिखत प्रभावी नहीं हुआ है और यह लिखत भौतिक रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कारण यह लिखत एवं संपत्ति का अंतरण प्रभावी नहीं हुआ है। इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अधिनियम की धारा 49(घ)(3) लागू होती है।

(5) विक्रेता द्वारा लिखत में वर्णित सभी शर्तों का पालन किया गया है एवं संपूर्ण प्रतिफल भी प्राप्त करना स्वीकार किया गया है तथा संपत्ति का कब्जा देना भी स्वीकार किया गया है। There could be no occasion for assuming 'refusal to act' under the terms of the instrument by the parties to the instrument.
स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा प्रतिफल प्राप्ति से इंकार नहीं किया गया है ना ही संपत्ति के कब्जे का विरोधाभास किया गया है। इस प्रकरण में विक्रेता द्वारा केवल पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करने से इंकार किया गया है, जिस पर अधिनियम की धारा 50(घ)(3) लागू होती है।

(6) खराब हुए स्टांपों की राशि के रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि छह मास है और आवेदक द्वारा विक्रय दिनांक से 4 माह 3 दिवस पश्चात् समय सीमा में प्रस्तुत किया है। तर्कों के समर्थन में 2001 आर.एन. 201 (उच्च न्यायालय) एवं 2015 आर.एन. 17 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ई-स्टांप दिनांक 07.12.2016 को जनरेट किया गया है और आवेदक द्वारा रिफण्ड आवेदन पत्र में यह दर्शाया गया है कि विक्रेता पंजीयन के समय अनुपस्थित होने से ई-स्टांप अनुपयोगी है, जबकि निष्पादन पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत समय बाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक Service Provider है, ना कि प्रभावित पक्षकार एवं प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अत: आवेदक का आवेदन पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार योग्य ही नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टांप, जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर